



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक-5, द्वितीय से पंचम तल

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन:- 0141-2715565

E-mail ID- rajmsa.asfe@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- रास्कृशिप/जय/औ.शि./दिशा-निर्देश/BRC/2020-21/ 13716

दिनांक:- 14/8/2020

ब्लॉक संदर्भ केन्द्र ग्रांट (BRC Grant) दिशा-निर्देश सत्र 2020-21

उद्देश्य:-

कार्यालयी कार्य को गति देने एवं प्रभावी बनाने की श्रृंखला में शिक्षा विभाग के ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों पर समय-समय पर आयोजित की जाने वाली बैठकों की सफल व्यवस्थाओं निर्बाध संचालन हेतु समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2020-21 में 301 ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (बीआरसी) को ब्लॉक संदर्भ केन्द्र के कार्य संचालन एवं अकादमिक सहायता हेतु बीआरसी ग्रांट का बजट प्रावधान किया गया है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र के दायित्वों का निर्वहन करेंगे व ब्लॉक क्षेत्र में समग्र शिक्षा के तहत संचालित समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-प्रथम एवं अति० मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-द्वितीय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में प्रदत्त दिशा निर्देशानुसार बीआरसीएफ के कार्य में सहयोग करेंगे। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2020-21 में कुल 301 बीआरसी हेतु कुल 255.850 लाख रुपये का अनुमोदन किया गया है, जिसमें प्रति बीआरसी 85,000/- रुपये इस वर्ष के लिये निम्नानुसार मदों में स्वीकृत की गई है -

1) वित्तीय प्रावधान - जिलावार स्वीकृत राशि परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

प्रति ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र हेतु निर्धारित बजट

कन्टेन्जेन्सी	मीटिंग, टीए	टीएलएम	मेन्टीनेंस	कुल बजट
50,000	25,000	5000	5,000	85,000

2) वित्तीय व्यय के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निम्न प्रकार है -

- कन्टेन्जेन्सी ग्रांट में से समग्र शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष, शाला दर्पण फीडिंग, आरटीई पोर्टल इत्यादि संबंधी खर्च एवं मॉनिटरिंग का खर्चा शामिल है। इन व्ययों का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान की रोकड बही में इन्द्राज किया जायेगा तथा सामग्री क्रय करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जावेगी।
- मीटिंग, टी.ए ग्रांट्स में से मीटिंग में उपस्थित होने पर अल्पहार व नियमानुसार टी.ए. का भुगतान आहरण कर सकेंगे। बीआरसी सूचना प्राप्त करने, मॉनीटरिंग के लिए विजिट करने पर राजकीय नियमानुसार टीए प्राप्त कर सकेगा, जिसका समायोजन मीटिंग, टी.ए. मद में किया जावेगा।
- टीएलएम ग्रांट में से बीआरसी अपने अधीन विद्यालयों में शैक्षिक सम्बलन प्रदान करने हेतु टीएलएम राशि का उपयोग करेगा तथा अपने अधीनस्थ विद्यालयों को शैक्षिक सम्बलन में विभिन्न प्रकार के विज्ञान, गणित व सामाजिक ज्ञान में शैक्षिक नवाचार अपनाने एवं टीएलएम निर्माण किया जा सकेगा।
- मेन्टीनेंस ग्रांट में से बीआरसी कार्यालय की छोटी-मोटी मरम्मत/रख-रखाव, रंगाई-पुताई इत्यादि के कार्य हेतु राशि का उपयोग लिया जा सकेगा।

- जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा; ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान (BRC Grant) एवं दिशा निर्देश 2020-21 समस्त ब्लॉक कार्यालयों को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करें।

3) मॉनीटरिंग :-

- ब्लॉक कार्यालयों को जारी की जाने वाली राशि का उपयोग वित्तीय नियमानुसार किये जानी की जांच / निरीक्षण हेतु जिला स्तर के अधिकारी माह में एक बार ब्लॉक कार्यालयों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें।
- राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा जिले में गतिविधियों की मॉनीटरिंग के दौरान ब्लॉक कार्यालयों का भी निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता को इस राशि के उपयोग एवं बचत की जानकारी उपलब्ध करवायेंगे।
- जिला कार्यालय द्वारा वित्तीय सत्र की समाप्ति पूर्व समस्त ब्लॉक से राशि उपयोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा संकलित सूचना परिषद कार्यालय को प्रेषित करेंगे।


4) विशेष -

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। बचत राशि को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ वापिस भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3. राशि का उपयोग गतिविधि व एमएचआरडी के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
4. क्रय की जाने वाली सामग्री में "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013" की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।

5) उपयोगिता प्रमाण पत्र -

- सीबीईओ कार्यालय से प्रपत्र-1 में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रपत्र-2 में जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय परिषद् मुख्यालय को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।



(बाबू लाल मीणा)

राज्य परियोजना निदेशक एवं
आयुक्त

www.rajsevak.com

क्रमांक: रास्कृशिप/जय/वै.शि./2020-21/13716

दिनांक: 14/8/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा व भाषा विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
- 2- निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
- 3- निजी सहायक, निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राज0, बीकानेर।
- 4- निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (I) एवं (II), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
- 5- नियंत्रक वित्त, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद कार्यालय, जयपुर।
- 6- समस्त उपायुक्त, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद कार्यालय, जयपुर।
- 7- समस्त उपनिदेशक / सहायक निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, परिषद कार्यालय, जयपुर।
- 8- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
- 9- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
- 10- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त ब्लॉक को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि दिशा निर्देशानुसार राशि का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।
- 11- रक्षित प्रति।



अति0 राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय

प्रपत्र -1

कार्यालय ब्लॉक

जिला

ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि BRC को सत्र 2020-21 में कन्टेन्जेन्सी, मीटिंग टी.ए., टीएलएम, मेन्टीनेन्स हेतु प्राप्त राशि रु. एवं पूर्व अवशेष राशि रुपये कुल राशि रुपये का उपयोग परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार किया जाकर कैश बुक के पृष्ठ संख्या पर इन्द्राज कर लिया है। ब्लॉक कार्यालय को प्राप्त कुल राशि में से व्यय की गई राशि पश्चात राशि बचत के रूप में शेष है, जिसे चालान/चैक/डिमाण्ड ड्रॉफ्ट संख्या..... दिनांक अनुसार वापिस भिजवाया जा रहा है।

वर्ष	गत सत्र की बचत राशि	प्राप्त राशि				स्वर्च की गई राशि				उपयोग पश्चात शेष राशि			
		कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मेन्टीनेन्स	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मेन्टीनेन्स	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम	मेन्टीनेन्स
2018-19													
2019-20													

हस्ताक्षर
बीआरसी प्रभारी/ CBE0

प्रपत्र -2

जिला

जिला स्तरीय उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2020-21 में ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान मद में प्राप्त राशि रुपये में से जिले की कुल बीआरसी को राशि जारी की गई एवं परिषद् के दिशा निर्देशानुसार व्यय की जाकर राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या पर समायोजन किया जा चुका है। जिले को प्राप्त कुल राशि में से ब्लॉक कार्यालयों द्वारा व्यय की गई राशि पश्चात राशि बचत के रूप में शेष है।

उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा MPR में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/ प्रभारी
.....

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
.....

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
.....

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक
.....

↓

जिलेवार बजट प्रावधान निम्नानुसार है :-

Academic Support through BRC/URC/CRC : 2020-21
Provision for BRCs / URCs Grant

S.N.	District	No. of Block	TLE/TLM Grant	Contingency Grant	Meeting, TA	Maintenance Grant	Total
			Financial @ Rs. 5000/-	Financial @ Rs. 50000/-	Financial @Rs. 25000	Financial @ Rs. 5000/-	Financial in lac
1	Ajmer	9	0.450	4.500	2.250	0.450	7.650
2	Alwar	14	0.700	7.000	3.500	0.700	11.900
3	Banswara	11	0.550	5.500	2.750	0.550	9.350
4	Baran	7	0.350	3.500	1.750	0.350	5.950
5	Barmer	17	0.850	8.500	4.250	0.850	14.450
6	Bhartpur	10	0.500	5.000	2.500	0.500	8.500
7	Bhilwara	12	0.600	6.000	3.000	0.600	10.200
8	Bikaner	7	0.350	3.500	1.750	0.350	5.950
9	Bundi	5	0.250	2.500	1.250	0.250	4.250
10	Chittoregarh	11	0.550	5.500	2.750	0.550	9.350
11	Churu	7	0.350	3.500	1.750	0.350	5.950
12	Dausa	6	0.300	3.000	1.500	0.300	5.100
13	Dholpur	5	0.250	2.500	1.250	0.250	4.250
14	Dungarpur	10	0.500	5.000	2.500	0.500	8.500
15	Ganganagar	9	0.450	4.500	2.250	0.450	7.650
16	Hanumangarh	7	0.350	3.500	1.750	0.350	5.950
17	Jaipur	19	0.950	9.500	4.750	0.950	16.150
18	Jaisalmer	3	0.150	1.500	0.750	0.150	2.550
19	Jalor	8	0.400	4.000	2.000	0.400	6.800
20	Jhalawar	8	0.400	4.000	2.000	0.400	6.800
21	Jhunjhunu	8	0.400	4.000	2.000	0.400	6.800
22	Jhodhpur	17	0.850	8.500	4.250	0.850	14.450
23	Karauli	6	0.300	3.000	1.500	0.300	5.100
24	Kota	6	0.300	3.000	1.500	0.300	5.100
25	Nagaur	14	0.700	7.000	3.500	0.700	11.900
26	Pali	10	0.500	5.000	2.500	0.500	8.500
27	Pratapgarh	5	0.250	2.500	1.250	0.250	4.250
28	Rajsamand	7	0.350	3.500	1.750	0.350	5.950
29	S.Madhampur	6	0.300	3.000	1.500	0.300	5.100
30	Sikar	9	0.450	4.500	2.250	0.450	7.650
31	Sirohi	5	0.250	2.500	1.250	0.250	4.250
32	Tonk	6	0.300	3.000	1.500	0.300	5.100
33	Udaipur	17	0.850	8.500	4.250	0.850	14.450
	TOTAL	301	15.050	150.500	75.250	15.050	255.850